उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

सं0- 2 -विनियम-23/पाकालि-2002-5विनियम/98 दिनांक: 2, जनवरी, 2002

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञाप सं0-2।।-विनियम-23/पाकालि-2001-।।विनियम/... दिनांक 6.12.2001 द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970 एवं उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता ।सिविल। सेवा विनियमावली-1970 के विनियम-5 में निर्गत प्राविधानों को जैसा कि स्तम्भ-। में इंगित है, को एतद्द्वारा स्तम्भ-।। में दिये गये प्राविधानों से निम्नवत् प्रतिस्थापित कर लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

स्तम्भ-।	स्तम्भ-।।
उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली - 1970	उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली - 1970
विनियम -5 भर्ती का स्रोत	विनियम-5 भर्ती का स्रोत
।1। सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित रहेंगे तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग-अलग की जायेगी। जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होंगे उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी।	।1। सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित रहेंगे तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग-अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होंगे उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी :-
।क। 57 प्रतिशत -------प्रशिक्षित अभियंताओं में से सीधी भर्ती हेतु।	।क। 50$\frac{1}{3}$ प्रतिशत -------प्रशिक्षित अभियंताओं में से सीधी भर्ती हेतु।
।ख। 33.33 प्रतिशत -------अवर अभियंता से प्रोन्नति द्वारा चयन वर्ग के सदस्यों से परिशिष्ट "ग" में विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु।	।ख। 40 प्रतिशत -------अवर अभियन्ता से प्रोन्नति द्वारा चयन वर्ग के सदस्यों से परिशिष्ट "ग" में विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु।
।ग। 1.33 प्रतिशत -------स्थायी एवं अर्ह संगणकों ।चयन वर्ग। ।विद्युत/यांत्रिक। से परिशिष्ट "ग" में विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु।	।ग। 1$\frac{1}{3}$ प्रतिशत ------स्थायी एवं अर्ह संगणकों ।चयन वर्ग। ।विद्युत एवं यांत्रिक। से परिशिष्ट "ग" में विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु।
।घ। 8.33 प्रतिशत ------डिग्रीधारी अवर अभियंता/संगणकों से प्रोन्नति हेतु ऐसे अवर अभियन्ता/संगणकों जो बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त हो तथा जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस ।प्रथम जुलाई। को अवर अभियंता/संगणक पद पर 10 वर्षों की अर्ह सेवा पूरी कर ली हो।	।घ। 8$\frac{1}{3}$ प्रतिशत ------डिग्रीधारी अवर अभियंता संगणकों से प्रोन्नति हेतु ऐसे अवर अभियन्ता/संगणकों जो बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त हो तथा जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस ।प्रथम जुलाई। को अवर अभियन्ता/संगणक पद पर 10 वर्षों की अर्ह सेवा पूरी कर ली हो।

Scanned with CamScanner

30

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त (घ) के विरुद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या, अवर अभियन्ता व संगणकों में से बाँटी जायेगी, जो उपर्युक्त (ख) एवं (ग) में वर्णित पदोन्नति के कोटे के अनुपात में होगी।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियंता (सिविल) सेवा विनियमावली- 1970

विनियम -5 (भर्ती का स्रोत)

(1) सेवा में भर्ती, किसी भी वर्ष में निम्न प्रकार से की जायेगी :-

(i) परिशिष्ट "क" में वर्णित नियम व रीति के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ----------------57 प्रतिशत

(ii) परिशिष्ट "ख" में वर्णित रीति के अनुसार अवर अभियन्ता (सिविल) से पदोन्नति द्वारा ------33 1/3 प्रतिशत

(iii) परिशिष्ट "ख" में वर्णित रीति के अनुसार स्थायी व अर्हता प्राप्त संगणकों (प्रवरण श्रेणी) (सिविल) से पदोन्नति द्वारा --------1 1/3 प्रतिशत

(iv) डिग्रीधारी अवर अभियन्ता/ संगणक से प्रोन्नति हेतु ऐसे अवर अभियन्ता/ संगणक जो बी०ई०/ए०एम०आई०ई० की अर्हता प्राप्त हो तथा जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस (प्रथम जुलाई) को अवर अभियन्ता/संगणक पद पर 10 वर्षों की अर्ह सेवा पूरी कर ली हो -------------8.33 प्रतिशत

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त (घ) के विरुद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या, अवर अभियन्ता व संगणकों में से बाँटी जायेगी जो उपर्युक्त (ख) एवं (ग) में वर्णित पदोन्नति के कोटे के अनुपात में होगी।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियंता (सिविल) सेवा विनियमावली- 1970

विनियम -5 (भर्ती का स्रोत)

(1) सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियंता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित रहेंगे तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग-अलग की जायेगी तथा जिस वर्ग में, जिस वर्ग में पद रिक्त होंगे उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी :-

(क) परिशिष्ट "क" में वर्णित नियम व रीति के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ----------50 1/3 प्रतिशत

(ख) परिशिष्ट "ख" में वर्णित रीति के अनुसार अवर अभियंता (सिविल) से पदोन्नति द्वारा ------------------40 प्रतिशत

(ग) परिशिष्ट "ख" में वर्णित रीति के अनुसार स्थायी व अर्हता प्राप्त संगणकों (प्रवरण श्रेणी) (सिविल) से पदोन्नति द्वारा ---------------------1 1/3 प्रतिशत

(घ) डिग्रीधारी अवर अभियन्ता/संगणक से प्रोन्नति हेतु ऐसे अवर अभियन्ता/संगणक जो बी०ई०/ए०एम०आई०ई० अर्हता प्राप्त हों तथा जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस (प्रथम जुलाई) को अवर अभियन्ता/संगणक पद पर 10 वर्षों की अर्ह सेवा पूरी कर ली हो ----------8 1/3 प्रतिशत

-------3